

प्रपक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
फैजाबाद।

सेवा में,

प्रबन्धक,

ग्लोबल पब्लिक स्कूल सहवाजपुर, अख्तियारपुर,
शिक्षाक्षेत्र-रुदौली, फैजाबाद।

पत्रांक : मान्यता/अंग्रेजी मा0/ 972-79 /2018-19

दिनांक : 12.04.18

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधि. नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार के क्रम में संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी के स्थलीय जांच-आख्या व संस्तुति एवं सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) की अध्यक्षता में गठित मान्यता समिति द्वारा सर्वसम्मति से लिए गये निर्णय के प्रतिनिर्देश से, मैं ग्लोबल पब्लिक स्कूल सहवाजपुर, अख्तियारपुर, शिक्षाक्षेत्र-रुदौली, फैजाबाद को अंग्रेजी माध्यम से पत्र निर्गमन तिथि से तीन वर्ष की अवधि हेतु कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 तक के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है -

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबन्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध-1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपाबन्ध-2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा नर्सरी/एक में बालकों की संख्या के पच्चीस प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा-12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सायाटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इन्कार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा-15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-
 - a. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - b. किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।
 - c. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
 - d. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम-25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।
 - e. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
 - f. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हतायें अर्जित करेंगे।
 - g. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करेगा।
 - h. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा-19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं-
 - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल - 6000 वर्गफिट
 - कुल निर्मित - 4500 वर्गफिट
 - क्रीडास्थल - उपलब्ध है।
 - कक्षाओं की संख्या - 10 (दस)
 - प्रधानाध्यापक-सहकार्यालय, सह-भंडागार के लिए कक्ष - 2 (दो)
 - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय - उपलब्ध है।
 - पेयजल सुविधा - उपलब्ध है।
 - वाधारहित पंधुच - उपलब्ध है।
 - अध्यापन पठन सामग्री / क्रीडा खेलकूद उपकरणों / पुस्तकालय की उपलब्धता - उपलब्धता है।
 9. विद्यालय परिसर के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यताप्राप्त कक्षायें नहीं चलायी जायेंगी।
 10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
 11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860(1860का21)के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसायटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
 12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
 13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्डर्ड एकाउंटेंट द्वारा सम्परीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
 14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक 1809260441 है। कृपया इसे नोट कर लें, और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।
 15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा है, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
 16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- उपरोक्त के अतिरिक्त यह भी निर्देशित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा मान्यता आदेश निर्गत करने के उपरान्त ग्लोबल पब्लिक स्कूल सहवाजपुर, अखिलारपुर की मान्यता हेतु आप द्वारा प्रस्तुत आवेदन-पत्र के साथ संलग्न अभिलेखा / प्रपत्रों / सूचनाओं तथा खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या निरीक्षण आख्या में वर्णित सूचनाओं में यदि त्रुटिपूर्ण / मिथ्या / भ्रामक / तथ्यगोपन की स्थिति किसी भी स्तर पर पायी जाती है, तो आपके विद्यालय को प्रदत्त मान्यता स्वतः निरस्त समझी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका ही होगा साथ ही यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों / अधिनियमों में वर्णित समस्त नियमों एवं शर्तों का नियमानुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(अमिता सिंह)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फैजाबाद।

सं. : मान्यता / अंग्रेजी मा 0 /

/2018-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. सचिव, उ.प्र. बेसिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद।
2. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद।
3. जिला पंचायतराज अधिकारी, फैजाबाद।
4. जिला समाज कल्याण अधिकारी, फैजाबाद।
5. जिला अल्पसंख्यक / पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी, फैजाबाद।
6. वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा, फैजाबाद।
7. निर्दिष्ट जिला शिक्षा अधिकारी / नगर शिक्षा अधिकारी, जनपद फैजाबाद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
फैजाबाद।

दिनांक: 04/09/2025

प्रेषक

खण्ड शिक्षा अधिकारी
रुदौली अयोध्या

सेवा में

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
जनपद -अयोध्या

विषय :- ग्लोबल पब्लिक स्कूल , सहवाजपुर , अख्तियारपुर , रुदौली , फैजाबाद (अयोध्या) को स्थायी मान्यता प्रदान के सम्बन्ध में ।

महोदय ,

उपयुक्त विषयक सादर अवगत करना है की प्रबंधक /प्रधानाचार्य ग्लोबल पब्लिक स्कूल , सहवाजपुर , अख्तियारपुर , रुदौली , फैजाबाद (अयोध्या) द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में संदर्भित विद्यालय के स्थायी मान्यता के संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है । उपयुक्त विद्यालय की मान्यता दिनांक : 12.04.2018 को कक्षा नर्सरी से आठ तक अर्न्तम रूप से प्रदान की गयी थी । शासनादेश संख्या रा० प० नि० /5654/2001-22 / दिनांक 08.03.2022 के क्रम में ग्लोबल पब्लिक स्कूल , सहवाजपुर , अख्तियारपुर , रुदौली , फैजाबाद (अयोध्या) को स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय के रूप में शासकीय अभिलेखों में अभिलिखित करने की प्रार्थना प्रधानाचार्य एवं प्रबंधक द्वारा की गयी है जो शासनादेश में निहित प्रावधानों / निर्देशों की अनुसार समीचीन है । इस आधार पर ग्लोबल पब्लिक स्कूल , सहवाजपुर , अख्तियारपुर , रुदौली , फैजाबाद (अयोध्या) एक स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय है ।

अतः आख्या संस्तुति सहित उक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित है ।

खण्ड शिक्षा अधिकारी

रुदौली , अयोध्या

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रबंधक / प्रधानाचार्य ग्लोबल पब्लिक स्कूल , सहवाजपुर , अख्तियारपुर , रुदौली , फैजाबाद (अयोध्या)

खण्ड शिक्षा अधिकारी
खण्ड शिक्षा अधिकारी
रुदौली , अयोध्या
रुदौली , अयोध्या

04/09/2025



Office of the District Basic Education Officer
AYODHYA

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **GLOBAL PUBLIC SCHOOL, SAHBAJPUR ARTIYARPUR RUDAULI AYODHYA** is permanently recognized for Pre-Primary, Primary and Junior School (class 1 to 8). The Recognition number allotted to GLOBAL PUBLIC SCHOOL is **972-79**. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

2. DATE OF ISSUE **23-12-2025**(DD/MM/YYYY)

3. Recognition Type **Old**

4. School Type **Pre-Primary, Primary and Junior School**

5. Recognition No. **972-79**

6. Medium **English**

DATE:- 23-12-2025

PLACE:- AYODHYA

District Basic Education Officer

Digitally signed by LAL CHANDRA
Date: 2025-12-23 13:44:51
Reason: For Digital Signature
Location: AYODHYA